

मुख्य समाचार

1. राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित, मौसम विभाग ने रांची, खूंटी और लोहरदगा में भारी बारिश की जारी की चेतावनी।
2. भाजपा ने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव जदयू और आजसू पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का लिया फैसला।
3. भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार को विकास विरोधी बताया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर विकास के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप।
4. न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली।
5. पलामू की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनायी 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दवाब का असर झारखंड पर दिख रहा है। रांची, पलामू और गढ़वा समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक-रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल रांची, खूंटी और लोहरदगा में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भाजपा के झारखंड सह-चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड-जेडीयू और ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन-आजसू पार्टी के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री सरमा ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंतिम चरण में है और अक्तूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जायेगी।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के करमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अब तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है।

भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज सिमडेगा पहुंची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गांधी मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की वर्तमान सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया है। श्री मुंडा ने आज कोल्हान प्रमंडल में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर सत्ता की लालच में संघर्ष करने वाले नेता चंपाई सोरेन का अपमान करने का आरोप लगाया। इस मौके पर सांसद विद्युतवरण महतो और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चम्पाई सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

भाजपा सांसद रवि किशन ने हेमन्त सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। श्री किशन ने पलामू के पांकी में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को झारखण्ड से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट करे, ताकि झारखंड को भ्रष्टाचारियों से बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए विकास कार्यों में बाधा डालने और झूठे केस में जेल भेजने का आरोप लगाया है। श्री सोरेन ने आज साहिबगंज में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने दावा किया है कि पिछले चार वर्षों में महिला समूहों के बीच दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। श्री सोरेन ने कहा कि नारी सशक्तिकरण हमारी पहली प्राथमिकता है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया।

झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। श्रीमती सोरेन आज पलामू में आयोजित मंडियां सम्मान यात्रा को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जितनी योजनायें दी हैं, उससे कई गुणा योजनायें आनेवाले समय में देगी।

भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा झामुमो-कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा शुरू की है।

न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने आज झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो, हाईकोर्ट के कई अन्य न्यायाधीशों के अलावा महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत कई अधिवक्ता भी मौजूद थे।

पलामू की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा अदालत ने 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

*****समाप्त*****